छह कालेजों में पहले से लागू है यूनिफार्म, निर्णय को सराहा

प्राचार्यों और विद्यार्थियों ने कहा, यूनिफार्म से आता है समानता का भाव, कालेज में बना रहता है अनुशासन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगरः जनपद के महाविद्यालयों के प्राचार्यों और विद्यार्थियों ने यूनिफार्म लागू करने के शासन के निर्णय का स्वागत किया है।

जनपद के राजकीय महाविद्यालय शाहपुर और पांचों सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों डीएवी पीजी कालेज, चौ. छोटू राम पीजी कालेज, जैन कन्या पाठशाला पीजी कालेज, एसडी पीजी कालेज और कुंद कुंद जैन पीजी कालेज खतौली में विभिन्न कोर्सेज के अनुसार यूनिफार्म लागू हैं। इसके अलावा 55 सेल्फ फाइनेंस कालेजों में अधिकांश में यूनिफार्म व्यवस्था है। प्राचार्यों का कहना है कि यूनिफार्म से अपने विद्यार्थियों की पहचान आसान होने के साथ ही विद्यार्थियों में समानता का भाव उत्पन्न होता है। इससे महाविद्यालय का अनुशासन बना रहता है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति और उच्च शिक्षा मंत्री का यह निर्णय बिल्कुल उचित है।

मुजफ्फरनगर के डीएवी डिग्री कालेज का परिसर • जागरण

स्कूली शिक्षा के दौरान इंटरमीडिएट तक कड़े अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थियों के मन में डिग्री कालेज की एक अलग ही छवि होती है। विद्यार्थी सोचते हैं कि अब इस बंधन का अनुशासन खत्म हो जाएगा और मनपसंद कपड़े पहनकर कालेज जाएंगे। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू आदि के कई महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें विद्यार्थियों पर यूनिफार्म की बंदिश लागू नहीं है। चौ. छोटू राम पीजी कालेज के प्राचार्य प्रो. केपी सिंह का कहना है कि उनके महाविद्यालय में करीब 15 वर्षों से यूनिफार्म व्यवस्था है। पूर्व में एक-दो अप्रिय घटनाएं हुईं जिसके कारण प्राक्टोरियल बोर्ड ने यह निर्णय लिया था।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल का निर्देश एकदम सही है। यूनिफार्म से विद्यार्थियों में समानता का भाव आता है। अगर यूनिफार्म न हो तो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी कालेज ही न आ पाएं क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं कि रोज अलग कपड़े पहन सकें। कई विद्यार्थियों के पास तो यूनिफार्म भी एक ही है जिसे वे रोज धोकर पहनकर आते हैं।

महाविद्यालयों में यूनिफार्म की उपयोगिता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यूनिफार्म एक पहनावा नहीं, यह छात्र जीवन में समानता और अनुशासन की नींव को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। **हरीश कुमार, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय शाहपुर।**

शासन का यह निर्णय बहुत सराहनीय है। हमारे महाविद्यालय में 15 वर्ष पूर्व यूनिफार्म लागू हुई थी। इससे अनुशासन बना रहता है। विद्यार्थियों में समानता का भाव उत्पन्न होता है। **प्रो. केपी सिंह, प्राचार्य, चौ. छोटू राम पीजी कालेज।**

महाविद्यालय में ड्रेस कोड 2020 से लागू है। इसके लागू होने के अनेक फायदे हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि बाहरी युवक महाविद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यूनिफार्म से अनुशासन को बल मिलता है। **- प्रो. सुधीर कुमार पुंडीर, प्राचार्य, एसडी पीजी कालेज।**

यूनिफार्म अनुशासन का प्रतीक है। इससे शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित रहता है। यह बालिकाओं के बीच समानता को भी दर्शाता है। **डा. सीमा जैन, प्राचार्य, जैन कन्या पाठशाला पीजी कालेज।**

कालेज में कई वर्षों से यूनिफार्म लागू है। यूनिफार्म से विद्यार्थियों में समानता दिखाई देती है। गरीब-अमीर और जात-पात का कोई भेदभाव नहीं झलकता है। **-डा. नीतू वशिष्ठ, प्राचार्य, कुंद कुंद जैन पीजी कालेज खतौली**

यूनिफार्म लागू करना बहुत अच्छी बात है। इससे विद्यार्थियों में समानता दिखती है। कालेज में सब एक जैसे दिखें, यह जरूरी है। **मुजाहिद, एलएलबी, डीएवी पीजी कालेज**

यूनिफार्म होने से भेदभाव नहीं होता। अनुशासन बना रहता है। अपने कालेज के सहपाठियों की अलग से पहचान हो जाती है। यह अच्छा निर्णय है। **अर्चित कुमार, एलएलबी, डीएवी पीजी कालेज**

यह बहुत अच्छा फैसला है। सभी विद्यार्थियों में अनुशासन के लिए यह बहुत जरूरी है। रोज अलग कपड़े पहनना सभी के लिए व्यावहारिक नहीं है। **राधिका, बीएड, डीएवी पीजी कालेज**

बाहरी युवक कालेज में प्रवेश न करें इसके लिए भी यूनिफार्म जरूरी है। बाहरी युवकों के प्रवेश से कई बार अनुशासन भंग होता है। **निशांत, बीएससी एजी, चौ. छोटू राम पीजी कालेज**

विवाहिता के मां-बाप व भाई को मारपीट कर किया घायल

संवाद सूत्र, जागरण • जानसठः बेटी से उसकी ससुराल में मिलने आए माता-पिता एवं भाई पर ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट के दौरान तीनों घायल, पीड़ित विवाहिता के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने मारपीट करने के आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी है। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी अफसर ने अपनी बेटी शबाना की शादी छह साल पहले जानसठ थाना क्षेत्र के गांव पिमोड़ा निवासी युवक के साथ की थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग अक्सर विवाहिता के साथ मारपीट करते हैं। पिछले दिनों विवाहिता की सास का पैर टूट गया था तो विवाहिता के माता-पिता एवं भाई अपनी बेटी की सास का हाल-चाल जानने के लिए पिमोड़ा आए थे। अफसर ने तहरीर देते हुए बताया कि जब ससुराल पक्ष के लोगों से लड़की के साथ मारपीट करने की बाबत पूछताछ की तो उन्होंने हमला कर दिया। इसमें अफसर एवं उसके भाई का लड़का अजीमूशान एवं विवाहिता की मां अफलीमा घायल हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

लापता किशोर सकुशल मिला

रतनपुरीः अम्बरपुर गांव निवासी शिवकुमार का पुत्र 11 मई को घर से लापता हो गया था। स्वजन ने थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। स्वजन सूचना पर मुबारिकपुर गांव पहुंचे और किशोर को सकुशल बरामद किया। किशोर के मिल जाने पर शुक्रवार को स्वजन उसको लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।-संसू।

पुलिस ने बाहरी लोगों का किया सत्यापन

संवाद सूत्र, जागरण • पुरकाजीः पुलिस ने देर रात आला अधिकारियों के दिशा-निर्देश पर थाना क्षेत्र के गांवों में बाहरी लोगों के खिलाफ सत्यापन अभियान चलाया है।

थाना प्रभारी डा. मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गांव हरिनगर, सुवाहेड़ी, पुरकाजी, खादर क्षेत्र, जहीरपुर रोड, कोल्हुआं, ढाबों, झुग्गी, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के खिलाफ सीओ सदर डा. रविशंकर मिश्रा के नेतृत्व में अधिकारियों के निर्देश पर सत्यापन अभियान चलाया। ऐसे लोगों के सत्यापन किए गए, जो बाहर से आकर रह रहे हैं। वहीं, स्थानीय लोगों को हिदायत दी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति को अपने यहां नौकरी करने के लिए रखे या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई दे तो उसकी सूचना पुलिस को दें।

समर कैंप में बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में लिया भाग

ककरौलीः आरजी स्कूल बेहड़ा सादात में बच्चों के सर्वांगीण विकास निखारने को समर कैंप लगा, जहां बच्चों ने खेलकूद, नृत्य, संगीत एवं विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक रमेश चंद्र ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य बबीता कौशिक ने बताया कि समर कैंप के माध्यम से बच्चों को नई गतिविधियों को सीखने एवं आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है।-संसू।

भाकियू ने तालाब के रास्ते पर जताई आपत्ति, जांच शुरू

जानसठः भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम रश्मि लांबा को ज्ञापन दिया। उन्होंने नगर पंचायत भोकरेड़ी के मुहल्ला कुआं पट्टी दक्षिण के तालाब के सुंदरीकरण प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस तालाब को शुक्रताल परिक्रमा मार्ग के रूप में चिह्नित किया गया है। तालाब पर दूसरे समुदाय के लोगों के तीन मकान बने हुए हैं, जिनके लिए नया रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है।-संसू।

आवश्यक सूचना- विज्ञापनदाताओं हेतु

सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि उनके द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड (दैनिक जागरण समाचार पत्र) में प्रकाशित कराये गए विज्ञापनों के बिलों एवं बकाये का भुगतान बिल पर मुद्रित यस बैंक के वर्चुअल खाते अथवा जागरण प्रकाशन लिमिटेड के द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, जेल चुंगी, मेरठ, के **खाता संख्या: 3167771256, IFSC Code: CBIN0282337** में ही करें एवं भुगतान की गयी राशि से सम्बंधित बिलों की सूचना भी प्रदान करें, जिससे भुगतान का सही समायोजन किया जा सकें। साथ ही, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या असुविधा होने पर आप सभी मेरठ यूनिट के रिकवरी मैनेजर (नवीन कौशिक) के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर **8171081989** एवं ई-मेल naveen.kaushik@mrt.jagran.com पर संपर्क कर सकते है। संस्था के अलावा किसी भी व्यक्तिगत बैंक खाते में विज्ञापन की राशि का भुगतान न करें अन्यथा ऐसा कोई भी भुगतान मान्य/स्वीकार नहीं होगा एवं बकाया भुगतान में समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उपरोक्त निर्देशों के विपरीत यदि कोई भी भुगतान किया गया है तो विज्ञापनदाता इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

प्रबन्धक, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, मेरठ यूनिट

चौकीदार राजू हत्याकांड में आरोपित की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगरः किड्स हेवेन स्कूल के चौकीदार राजू उर्फ राजकुमार हत्याकांड में आरोपित युवक की न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले में थानाध्यक्ष चरथावल और विवेचक द्वारा अपूर्ण आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। आरोपित के कब्जे से आला कत्ल डंडा और फावड़ा भी बरामद हुआ था।

चरथावल के किड्स हेवेन स्कूल के चौकीदार 48 वर्षीय राजू उर्फ राजकुमार पुत्र महेंद्र की 24 अप्रैल की रात को हत्या कर दी गई थी, जिसका शव किशनपुरा के जंगल में दबुबवेल पर पड़ा मिला था। पुलिस ने चौकीदार राजू की दुकान में किराएदार मोहन निवासी किशनपुरा और उसके साढ़ू के पुत्र नितिन उर्फ नितीश निवासी गांव तेजलहेड़ा, छपार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया था। दोनों ने मिलकर चौकीदार की हत्या की थी। आरोपित दो मई से जिला कारागार में बंद हैं। आरोपित नितिन ने अपने अधिवक्ता कोर्ट की टिप्पणी, आरोपित के आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि ऐसे आरोपित समाज के वृहत्तर हित में उसके स्वतंत्र होने के घातक परिणाम हो सकते हैं के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि पुलिस की अपूर्ण आख्या में यह कहा गया है कि आरोपित के कब्जे से आला कत्ल फावड़ा व डंडे की बरामदगी हुई है। आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि आरोपित पर हत्या जैसे गंभीर अपराध हैं। समाज के वृहत्तर हित में उसके स्वतंत्र होने के घातक परिणाम हो सकते हैं। सुनवाई के बाद जमानत निरस्त कर दी गई। साथ ही विवेचक क्राइम इंस्पेक्टर जयकिशोर तथा थानाध्यक्ष चरथावल सत्यनारायण दहिया द्वारा अपूर्ण आख्या देने पर दोनों के विरुद्ध पत्र लिखकर दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसएसपी को भी मामले में पत्र भेजा गया है।

लव जिहाद के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी हुई खारिज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगरः इंस्टाग्राम पर हिंदू युवती को मुस्लिम युवक ने सागर बनकर प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील चित्र खींचकर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि सिविल लाईंस थाना क्षेत्र की युवती को पुरकाजी के तुर्किस्तान मुहल्ला निवासी समीर ने हिंदू युवक सागर बनकर प्रेमजाल में फंसाया था। युवती के साथ बातचीत के बाद उसे कई बार होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। आरोपित ने युवती के अश्लील चित्र मोबाइल में खींच लिए और ब्लैकमेल करता रहा। आरोपित ने युवती के घर से चोरी से रुपये मंगवाए। आरोपित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपित ने अपना वास्तविक नाम छिपाकर सागर बनकर युवती का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

प्रवेश सूचना 2026-27

मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज

उत्तर प्रदेश सरकार एवं उ.प्र. स्टेट मेडिकल फकल्टी लखनऊ एवं इण्डियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली व अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से मान्यता प्राप्त

सभी जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा*

(परिषदी उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड का प्रथम, प्रमुख एवं श्रेष्ठ कॉलेज) 22 वर्षों से संचालित

सहारनपुर जनपद का एक मात्र B.Sc. Nursing कॉलेज जो इण्डियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है

100% PLACEMENT अनुभवी शिक्षक/डॉक्टरों द्वारा अध्यापन

B.OPTOMETRY नेत्र परीक्षण डिग्री कोर्स — प्रवेश योग्यता: इण्टरमीडिएट (बायोलॉजी) अवधि: 3 वर्ष + 1 वर्ष इंटर्नशिप

B.M.L.S. पैथोलॉजी लैब डिग्री कोर्स — प्रवेश योग्यता: इण्टरमीडिएट (बायोलॉजी) अवधि: 3 वर्ष + 1 वर्ष इंटर्नशिप

B.P.T. फिजियोथैरेपी चिकित्सक — प्रवेश योग्यता: इण्टरमीडिएट (बायो) अवधि: 4 वर्ष + 1 वर्ष इंटर्नशिप

इन कोर्सों में प्रवेश फार्म भरने की अंतिम तिथि 05 जून 2026 है

सीधे प्रवेश इण्टरमीडिएट के अंकों के आधार पर होंगे। प्रवेश पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होंगे।

नोट: अनुसूचित जाति के पात्र छात्र/छात्राओं को प्रवेश शुल्क में विशेष छूट।

ANM ANM में सीधे प्रवेश हो रहे हैं। हाईस्कूल-इण्टरमीडिएट, अवधि - 2 वर्ष

GNM UPGET प्रवेश परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 26 मई 2026 है।

DAOTT डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एण्ड ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजिस्ट प्रवेश योग्यता: इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायो/गणित) • अवधि 2½ वर्ष

पता- निकट मनानी रेलवे स्टेशन, दिल्ली रोड, चन्हेटी फाटक से आगे, सहारनपुर

M- 9412230932, 9359906632, 9359936127

Website: mtgroupofcollegeprn.com | Email: mtgroupofcollegeprn@gmail.com

मेडिकल प्रवेश सूचना

आई.आई.एच.टी.

(College of Nursing & Allied and Healthcare Science)

उ.प्र.स्टेट मेडिकल फकल्टी लखनऊ व अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से मान्यता प्राप्त

डिग्री पाठ्यक्रमों में फार्म भरने की अन्तिम तिथि 05 जून 2026

B.P.T. फिजियोथैरेपी चिकित्सक — प्रवेश योग्यता- इण्टरमीडिएट बायोलॉजी, अवधि-4 वर्ष + 1 वर्ष इंटर्नशिप

B.OPTOMETRY नेत्र परीक्षक डिग्री कोर्स — प्रवेश योग्यता- इण्टरमीडिएट बायोलॉजी/गणित, अवधि-4 वर्ष + 1 वर्ष इंटर्नशिप

B.M.L.S पैथोलॉजी लैब डिग्री कोर्स — प्रवेश योग्यता- इण्टरमीडिएट बायोलॉजी, अवधि-3 वर्ष + 1 वर्ष इंटर्नशिप

OBC/GEN/MIN/SC / ST के छात्र-छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा

Diploma in Anesthesia & Operation Theatre Technology

D.AOTT - समय - 2½ वर्ष (2 वर्ष + 6 माह इंटर्नशिप)

Note: Diploma in Optometry, DPT, D.Sanitation, D.Accupuncture Certificate in Baby Nursing में प्रवेश UP Allied Health Council की अनुमति के उपरान्त ही किये जायेंगे।

G.N.M. अवधि - 3 वर्ष 10+2 (अंग्रेजी विषय)

A.N.M. अवधि - 2 वर्ष 10+2 किसी भी विषय में सीधे प्रवेश

GNM में प्रवेश के लिए UPGET फार्म भरने की अन्तिम तिथि 26.5.2026

पता : देवबंद-मुजफ्फरनगर हाईवे, ग्राम निहाल रवेड़ी, देवबंद

9012700032, 9012400032, 9012200032

website: iihtmedical.com, email: upsmfa226@gmail.com

छेड़छाड़ के दोषियों को तीन-तीन साल सजा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगरः स्कूल से लौट रही छात्राओं से छेड़छाड़ व विरोध पर स्वजन को पीटने के मामले में दोषी चार युवकों को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

साथ ही नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी ने तर्क रखा कि बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ एवं विरोध पर भाई को पीटने का अपराध समाज में भय उत्पन्न करने जैसा है। यह बालिकाओं की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व एडीजीसी विनय अरोरा ने बताया कि 27 सितंबर 2018 को खतौली थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए व्यक्ति ने बताया था कि उसका बेटा अपनी दो चचेरी बहनों के साथ स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में आरोपित दीपक, मुन्ना उर्फ गौरव, प्रियांशु व सनोज ने उनकी ई रिक्शा बलपूर्वक रोक ली। आरोपितों ने छात्राओं को जबरदस्ती खेत में खींचकर ले जाने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके पुत्र व छात्राओं पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। आरोप था कि आरोपितों ने छात्राओं के बैग से आठ हजार रुपये व दो मोबाइल भी छीन लिए थे। मुकदमे की सुनवाई पोक्सो कोर्ट-प्रथम की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया के न्यायालय में हुई। शुक्रवार को चारों आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा तथा प्रत्येक आरोपित पर नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ई-रिक्शा सवार छात्राओं को खींचकर की गई थी छेड़छाड़

सुनील त्यागी को मिला सराहनीय सेवा पदक

जासं, मुजफ्फरनगरः सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में द्वितीय कमान अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त सुनील कुमार त्यागी को सराहनीय सेवा पदक से पुरस्कृत किया गया। उन्हें यह पुरस्कार शुक्रवार को दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में दिया गया।

सुनील त्यागी •

मूलरूप से पुरकाजी के गांव फलौदा निवासी सुनील कुमार त्यागी वर्तमान में गांधीनगर में रहते हैं। वह सीमा सुरक्षा बल में द्वितीय कमान अधिकारी के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। लगभग 38 वर्ष देश सेवा की है। शुक्रवार को दिल्ली में हुए समारोह में उन्हें उनकी बेदाग सेवाओं के लिए सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार, आइबी के महानिदेशक तपन डेका तथा बीएसएफ के विशेष महानिदेशक महेश अग्रवाल की उपस्थिति में दिया गया है।

26 को होगी कुख्यात विक्की त्यागी की मां की गवाही

गैंगस्टर विक्की त्यागी हत्याकांड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगरः कुख्यात गैंगस्टर विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी हत्याकांड में सुनवाई की गई। हत्याकांड के दौरान गैंगस्टर की गारद में शामिल रहे मुख्य आरक्षी से बहस चल रही है। वहीं, अब हत्याकांड में कुख्यात विक्की त्यागी की मां की गवाही के लिए न्यायालय ने 26 मई की तिथि लगाई है।

चरथावल के गांव पावटी निवासी कुख्यात गैंगस्टर विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी हत्याकांड की सुनवाई एडीजे-प्रथम के न्यायालय में चल रही है। सुनवाई के दौरान बागपत थाने में तैनात मुख्य आरक्षी (हेड कांस्टेबल) संत कुमार की गवाही चल रही है। इनसे एक आरोपित ब्रजवीर के अधिवक्ता हत्याकांड को लेकर जिरह कर रहे हैं। एडीजीसी अरुण शर्मा ने बताया कि मुख्य आरक्षी ने गवाही दी कि आरोपित सागर मलिक ने काला कोट, हाथ में फाइल और सिर पर पगड़ी पहन रखी थी। उसने न्यायालय में न्यायाधीश के विश्राम कक्ष के निकट गैंगस्टर विक्की त्यागी पर अंधाधुंध गोली चलाई थी। इस मामले में मुख्य आरोपित सागर मलिक प्रयागराज की नैनी जेल तथा उसका भाई आरोपित सौरभ मलिक लखनऊ जिला कारागार में बंद है।

यह था हत्याकांड

16 फरवरी 2015 को जिला कारागार से पुलिस सुरक्षा में विचाराधीन बंदी विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की को कोटद्वार कारागार से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। यहां पर अधिवक्ता की वेशभूषा में पगड़ी बांधे सागर मलिक ने गोलियां बरसाकर विक्की त्यागी की हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पहली रिपोर्ट गारद में शामिल सिपाही संत कुमार ने थाना नई मंडी में दर्ज कराई थी, जबकि दूसरी एफआइआर विक्की त्यागी की मां सुप्रभा त्यागी ने थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराई थी।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

..... भरोसे का प्रतीक! ... the name you can BANK upon!

सर्किल कार्यालयः मुजफ्फरनगर : प्लॉट नं. 01, शाकुंतलम आवास विकास कॉलोनी सर्कुलर रोड, मुजफ्फरनगर (यू.पी.) E-Mail: cs6284@pnb.bank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) एवं 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। सामान्य जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ता (ऋणियों) और गारंटीकर्ता (गारंटरों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी / प्रभारित है , जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ता (ऋणियों) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता को देय बकाया राशि की वसूली के लिए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर का नाम	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों के बंधकर्ता)	सरफेसी अधिनियम 2002 की मांग सूचना 13(2) की तिथि / बकाया राशि / कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि और समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋण का विवरण
1.	बीओः सिखेड़ा नगला कबीर (024310) श्री हासिम सैफी पुत्र स्व. असगर सैफी	एक आवासीय सम्पत्ति का EM, जो खसरा नंबर 181M, मोहल्ला मदीना कॉलोनी, भाग 1, गाँव सरवट बहार हद्दू निकट चुन्ना जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल 41.62 वर्ग मीटर है और यह श्री हासिम सैफी पुत्र श्री असगर सैफी के नाम पर है। यह सेल डीड संख्या 1957, दिनांक 21-02-2019 के तहत पंजीकृत है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तरः आलम का घर, दक्षिणः मुनीर का घर, पूर्वः दूसरों का घर, पश्चिमः 15 फीट चौड़ी सड़क।	07.11.2025 रु. 8,89,858.47 30.04.2026 से आगे के ब्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क 29.01.2026 रचनात्मक	रु. 12.00 लाख रु. 1.20 लाख रु. 12,000/-	08.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
2.	बीओः कैराना (302300) 1. श्री इमरान पुत्र अब्दुल हामिद (उधारकर्ता) 2. श्री. इंतजार पुत्र अख्तर (गारंटर)	एक पूरा प्लॉट (जो वर्तमान में एक घर है) जिसका मुख्य दिशा में है। इसकी माप पूर्व में 35 फीट, पश्चिम में 35 फीट, उत्तर में 25.72 फीट और दक्षिण में 25.72 फीट है, कुल क्षेत्रफल 83.67 वर्ग मीटर है। यह श्री इमरान पुत्र श्री अब्दुल हामिद के नाम पर है और मोहल्ला अफगानन, परगना और तहसील कैराना, जिला शामली में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्वः नसीम का घर, पश्चिमः 5 फीट चौड़ा रास्ता और फरीक अवल अहसान का प्लॉट, उत्तरः नफीसा का प्लॉट, दक्षिणः अनीस का प्लॉट।	13.02.2020 रु. 17,99,426.92 30.04.2026 से आगे के ब्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क 01.02.2022 रचनात्मक	रु. 9.00 लाख रु. 0.90 लाख रु. 9,000/-	08.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
3.	बीओः सिखेड़ा नगला कबीर (024310) श्री सुहान सिद्दीकी पुत्र श्री नौशाद सिद्दीकी (उधारकर्ता) श्रीमती शमा परवीन पत्नी श्री नौसाद सिद्दीकी (गारंटर/बंधककर्ता)	एक रिहायशी प्रॉपर्टी का EM, जो खसरा नंबर 93 निकट मदीना कॉलोनी, सरवट बहार हद्दू, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल 50.06 वर्ग गज (41.86 वर्ग मीटर) है और यह श्रीमती शमा परवीन पत्नी श्री नौशाद सिद्दीकी के नाम पर है। यह क्रमांक 272, दिनांक 17.01.2017 के तहत पंजीकृत है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः विक्रेता का प्लॉट, उत्तरः 18 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः जियाउर्रहमान की जमीन।	07.11.2025 रु. 6,67,873.76 30.04.2026 से आगे के ब्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क 29.01.2026 रचनात्मक	रु. 9.00 लाख रु. 0.90 लाख रु. 9,000/-	08.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
4.	बीओः कैराना (302300):- 1. कमर जहाँ पत्नी तस्लीम खान (उधार लेने वाले तस्लीम खान पुत्र नईम खान की कानूनी वारिस) 2. तंजीम खान पुत्र तस्लीम खान (उधार लेने वाले तस्लीम खान पुत्र नईम खान के कानूनी वारिस) 3. अजीम खान पुत्र तस्लीम खान (उधार लेने वाले तस्लीम खान पुत्र नईम खान के कानूनी वारिस) 4. फईम खान पुत्र तस्लीम खान (उधार लेने वाले तस्लीम खान पुत्र नईम खान के कानूनी वारिस) 5. सैफ खान पुत्र तस्लीम खान (उधार लेने वाले तस्लीम खान पुत्र नईम खान के कानूनी वारिस) 6. जुले खान पुत्री तस्लीम खान (कानूनी वारिस उधारकर्ता तस्लीम खान पुत्र नईम खान) 7. मोहम्मद मुस्ताफा पुत्र अली हसन (गारंटर)	तस्लीम खान पुत्र नईम खान के नाम पर पूरब की ओर वाला आवासीय घर, जिसका एरिया 110.72 वर्ग मी. है। यह मोहम्मदाबाद आवासीय टाउन, परगना और तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में है। प्रॉपर्टी की सीमा नीचे दी गई है: पूरबः रास्ता गली, पश्चिमः श्रीमती खुशनूद का घर, उत्तरः फुरकान का घर, दक्षिणः तासिम का घर।	10.06.2024 प्रकाशित 04.09.2024 रु. 12,39,140.80 30.04.2026 से आगे के ब्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क 09.12.2024 रचनात्मक	रु. 10.50 लाख रु. 1.05 लाख रु. 10,500/-	08.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही

यह बिक्री सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 में बताए गए नियमों और शर्तों और इन अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी। 1. प्रॉपर्टीज 'जैसी है जहाँ है आधार पर' और 'जैसी है जो है आधार पर' और 'जो कुछ भी है आधार पर' बेची जा रही हैं।

Six of family, including 2 kids, die in auto-bus crash in Odisha

Berhampur: Six of a family, including two children, died and four others were critically injured in a head-on collision between an overloaded autorickshaw and a passenger bus in Odisha's Ganjam district Friday, reports **Hrusikesh Mohanty**.

Police said the family had hired the auto and was heading to Singhasani temple when the accident occurred between 9.30am and 10am. The eight-seater autorickshaw was carrying around 12 people, including four children, when the Berhampur-bound private bus rammed into it at a turning. The auto skidded and crashed into a roadside neem tree, said RTO Debasish Swain, who visited the site with Chhatrapur sub-collector Sibasis Baral.

Three auto occupants died on the spot. Fire services and police personnel rescued the injured and rushed them to Kodala CHC, where three more succumbed. The critically injured—including three relatives of the deceased and auto driver Babu Pradhan (52)—were later referred to MKCG Medical College and Hospital. Their condition was stated as stable.

Police identified the victims as Erendra residents Milli Behera (75), hersen Nanasingh (40), daughters Lilabati (45) and Ratnani (48), and Sneha (11) and Kiran (10), children of Mili's two other daughters. Ganjam resident Sneha and Bhadrak resident Kiran had been staying at their maternal uncle's house in Erendra, family said.

C'garh family found dead days after Tirupati trip

A couple and their two minor children were found dead inside their home in Chhattisgarh's Durg district Friday. The family had returned just days ago from Tirupati. Police identified the deceased as Govind Sahu (45), his wife Chanchal Sahu (40), their daughter Drishti (13) and son Vashant (11). The parents may have killed the kids before dying by suicide, investigators suspected. TNN

[Public Notice]

The Ld. Court of ACJM, Siliguri has issued Proclamation requiring the appearance of accused Shri Pawan Kumar Agarwal @ Rajendra Kr. Agarwal, S/o-Chanan Das Agarwal, R/o-Gali Ward Bandha, Ward No.-16, Jorapokhar, Bagdogra to appear before the Court of Ld. ACJM, Siliguri on 10/09/2026 in connection with the trial of CBI case bearing case no. RC-25(A)/93-Kol/CBI/ACB/Kolkata dated 10/09/1993 (CBI-vs-Kiran Pasu Singh and others) u/s 120B/420/467/471 IPC and Section 13(2) r/w Section 13(1)(d) of PC Act, 1988.

CBC 32295/1/0014/2627

RAIL COACH FACTORY, KAPURTHALA

On-line Tenders are invited by PCMM, RCF on behalf of President of India for following items -

Sr. No.	Tender No. / Due Date	Description	Qty.(Nos./Sets)	EMD (Rs.)
1.	0226120404/06.2026	Harness of Underframe & Roof Arrangement for LHB FOG Second AC Chair Car Coache		439960/-
2	1326512016/06.2026	Procurement of Oil Chiller Unit and Water Chiller Units Pl. No /Item Code: 6557002212331	01 Nos	69510/-
3.	1626/007A/01/06.2026	Raw Grade Garnet for Robotic Sand Blasting Plant	236 MT	1,18000/-
4	1725/169A/05/06.2026	Set of Seat and Berth for LHB SLR Hog Coaches (31-Seater)	76 Sets	16,82,570/-
		Set of Seat and Berth for LHB SCN Coaches	126 Sets	
5.	1726/161/04/06.2026	1. Supply & Installation of One Coach set of AC Duct Complete for Vande Bharat MCNOTFC Coaches	100 Set	7,26,000/-
		2. Supply and Installation of One Coach set of AC Duct complete for Vande Bharat DTC Coaches	20 Set	
		3. Supply and Installation of One Coach set of AC Duct complete for Vande Bharat TC Coaches	40 Set	
6.	0526/024/18/06.2026	Underframe Complete for VB Metro NDTC	04 Nos	10,52,460/-
		Underframe Complete for VB Metro TC	08 Nos	
		Underframe Complete for VB Metro DTC	04 Nos	
		Underframe Complete for VB Metro MC	16 Nos	
7.	0626/12/NA/22/06.2026	Set of Carline for LHB AC Tier Avent Bharat 3.0 with Flat Roof Pl. No. 33634470	100 Set	173880/-
8.	0261025/12/06.2026	100V 120 AH, VRLA SMF Battery Set	100 Set	3,62,370/-
9.	0125/034/11/06.2026	Suit of Axle End Cover For LHB Bogies	1177 Set	111530/-
10.	0126/035/22/06.2026	Anti Roll Bar Bracket	5244 Nos	138490/-
11.	0526/033/16/06.2026	Crash Buffer for Vande Bharat	24 Nos 240 Nos	819400/-

1. For details and making On-line bids, visit Website **http://freps.gov.in**. Drawings/specifications wherever required can be downloaded from RCF Website **http://www.rcf.indianrailways.gov.in**. Class III digital signature certificate required for on-line bidding, can be obtained from licensed certifying agencies listed at **http://www.cca.gov.in**
2. Tenders will close at **14.30 HRS.** on due date and tender will be opened at **14.30 HRS.** Tenders Sr. No 1 to 7 will be open at RCF Kapurthala and Sr. No. 8 to 11 will be opened at Tilak Bridge, New Delhi 3.
For queries, contact IREPS Help desk at 011-24102655, 011-24105140 or RCF help desk at 011-23378668.
Mobile SMS number of RCF is 53AANGA0216AC127. All the suppliers are advised to quote this in dispatch documents for the supplies made by them.

PCMM
No. 17-6/2026-27 Dated: 22.05.2026

WEST CENTRAL RAILWAY

Divisional Railway Manager's Office Commercial Branch, Bhopal
No.: CBPL/ODS/MUGA GCT/2026/1
Date: 22.05.2026

President of India, through Sr. Divisional Commercial Manager West Central Railway Bhopal Division, has invited Tender for awarding contracts of construction of Rail Shash Cargo Terminal. Catalogues are available on IREPS Portal (www.ireps.gov.in). Details of catalogues are as follows. **Tender number: C-BPL-ODS MUGA GCT Contract Period:** 36 Years. **Date and time of end of e-tender:** 22-06-2026 15:00:00. All other details, Standard Condition of Contract and Special Condition of Contract are available on www.ireps.gov.in. Participants can visit the portal for details.

Sr. DCM-II, WCR, Bhopal

पश्चिम मध्य रेलवे
पश्चिम मध्य रेलवे की जय

No. Q-15014/01/2023-CPA
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
2nd floor, Prithvi Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi

Subject: Appointment of two (2) Full-time (Technical) Member in the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas -reg.

Applications are invited from eligible candidates for selection and appointment of two (2) Full-time Member (Technical) to the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas, Delhi.

2. The Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) is a Statutory Body established under the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021). The Member shall be a full-time incumbent.

The detailed advertisement is available on the website of the Ministry at https://moef.gov.in and website of the CAQM at https://caqm.nic.in

Director (CP)
Tele ph. 011-20819196
Email: v.pazhaniyandi@gov.in

CBC 13101/11/0003/2627

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Electronics and Information Technology

Filling up the post of Chairman & Members in the Data Protection Board of India

The Government of India has established the Data Protection Board of India (DPBI) under Section 18 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023. The Board has been established as a body corporate with the mandate to function as an independent adjudicatory authority for the effective enforcement of the provisions of the Act. The DPBI is envisaged as a digital-by-design institution, aligned with the Government's objective of ensuring efficient, transparent, and technology-enabled governance. It is empowered to inquire into personal data breaches and instances of non-compliance, issue appropriate directions for mitigation and remediation, and impose monetary penalties, in accordance with the provisions of the DPDP Act and the DPDP Rules 2025 framed thereunder. The Board consists of a Chairperson and four other Members.

Applications are invited for filling up the post of the Chairperson and four other Members. For application format, eligibility conditions, requisite qualifications, pay and allowances, and other details, log on to Ministry's website www.meity.gov.in.

Application in the prescribed proforma should reach the Deputy Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6 CGO Complex, New Delhi - 110003, within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. [p.victor@nic.in]

CBC 06101/11/0006/2627

PRESS NOTIFICATION

F.No.CA-05/17/2025-CAU and ASRB
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION (DARE),
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110001

VACANCY ANNOUNCEMENT

Department of Agricultural Research & Education is inviting applications for the post of Vice Chancellor, Central Agricultural University, Imphal, Manipur. The post carries emoluments and other conditions of the service of the Vice-Chancellor as per the provisions of the Central Agricultural University Act, 1992.

The completed application (hard copy) in the prescribed proforma must reach The Committee (VC Selection) Office of the Secretary, DARE and D.G, ICAR Department of Agricultural Research and Education, Room No. 108, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 by **06.07.2026** at 5.00 P.M.

Complete details of the specifications for this position and other information can be accessed on the website of DARE, ICAR and Central Agricultural University, Imphal, Manipur. (http://dare.gov.in/, https://icar.org.in/ and http://www.cau.ac.in/)

Note:- Applications received after the last date and time or incomplete in any respect shall be summarily rejected.

CBC 01301/11/0001/2627

पंजाब नैशनल बैंक ..... भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ... the name you can BANK upon!

Circle Office: Muzaffarnagar #Plot No. 01, Shakuntlam Awas Vikas Colony Circular Road, Muzaffarnagar (U.P.)
E-Mail: cs8284@pnb.bank.in

E-AUCTION SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act 2002 read with proviso to Rule 9(1) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule,2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/ physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorised officer of the Bank / Secured Creditor, will be sold on" As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of dues due to the Bank/Secured creditor from the respective borrower(s), and Guarantor (s). The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSESTS

S. No.	Name of Branch / Name of the Account / Name of the Borrower/Guarantor	Description of the Immovable Properties Mortgaged /Owner's Name (Mortgagors of Property (ies))	Dt. of Demand Notice 13 (2) of SARFAESI ACT, 2002 / Outstanding Amount / Date Of Possession / Nature of Possession: Symbolic / Physical / Constructive	RESERVE PRICE / EMD / BID INCREASE AMOUNT	DATE & TIME OF AUCTION	Details of the Encumbrances Known To the Secured Creditor
1.	BO: Sikhera Nagla Kabir (024310), SH. HASIM SAIFI S/O SH. ASGAR SAIFI	EM of a residential property part of Khasra No. 1819M Moh Madina colony Part 1 vill sarwat nahar nadeed near chauna Dist. Muzaffarnagar Uttar Pradesh having total area of 41.82 sq.mt. in the name of Sh. Hasim Saifi S/O Sh. Asgar Saifi, Registered at sale deed no.1957 dated 21-03-2019. Property is bounded by - North House of Alam, South House of Munsir, East House of Others, West Road 15ft Wide	07.11.2025 Rs. 8,89,858.47 with further interest w.e.f 30.04.2026 + Dt + other charges 29.01.2026 Constructive	Rs. 12.00 Lakh Rs. 1.20 Lakh Rs. 12,000/-	08.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
2.	BO: Kairana (302308) 1.Sh.Imran S/o Abdul Hamid (Borrower) 2.Sh.Irfan S/o Akhtar (Guarantor)	Entire a plot (presently house) west faced measuring East 30ft, West 35ft, North 25.72 ft, South 25.72 ft, total area 83.67 sqr mtre or in the name of Sh. Imran s/o Sh. Abdul Hamid situated at Mohalla Alagmian, Kairana Pargana & Tehsil Kairana District Shamli Boundied - East: House of Nasreen, West: Rasta breadth 9ft wide and ajj ms plot of Faik Anwar Ahsan, North: Plot of Nafeesa, South: Plot of Anees	13.02.2020 Rs. 17,99,426.92 with further interest w.e.f 30.04.2026 + Dt + other Charges 01.02.2022 Constructive	Rs. 9.00 Lakh Rs. 0.90 Lakh Rs. 9,000/-	08.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
3.	BO: Sikhera Nagla Kabir (024310) Mr. Subahan Siddique S/o Mr. Naushad Siddique (Borrower) Smt. Shama Parveen W/o Mr. Nausad Siddique (Guarantor/Mortgager)	EM of a residential Property part of Khasra no 93 Near Madina Colony, Sarwat Nahar Nadeed, Muzaffarnagar Uttar Pradesh having total area of 96.86 Sq Yards (41.86 Sq Mtrs) in the name of Smt. Shama Preveen W/o Mr. Naushad Siddique Registered at Sr. No. 272 dated 17.01.2017. Property is bounded by: East: Plot of Sabir West: Plot of Sabir, North: Road 18 feet Wide, South: Land of Jyaunshaman.	07.11.2025 Rs. 6,67,573.78 with further interest w.e.f 30.04.2026 + Dt + other charges 29.01.2026 Constructive	Rs. 9.00 Lakh Rs. 0.90 Lakh Rs. 9,000/-	08.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
4.	BO: Kairana (302308) :- 1.Kamar Jahan W/o Tasleem Khan (Legal Heir of borrower Tasleem Khan s/o Naim Khan) 2.Tandim Khan S/o Tasleem Khan (Legal Heir of borrower Tasleem Khan s/o Naim Khan) 3.Asim Khan S/o Tasleem Khan (Legal Heir of borrower Tasleem Khan s/o Naim Khan) 4.Faiem Khan S/o Tasleem Khan (Legal Heir of borrower Tasleem Khan s/o Naim Khan) 5.Saif Khan S/o Tasleem Khan (Legal Heir of borrower Tasleem Khan s/o Naim Khan) 6.July Khan D/o Tasleem Khan (Legal Heir of borrower Tasleem Khan s/o Naim Khan) 7.Md. Mustafa s/o Ali Hasan (Guarantor)	Residential house facing east in the name of Tasleem Khan s/o Naim Khan measuring area 116.72 sqr mtre situated at Moh. Mohammadabad sweslye town,Paragna and Tehsil Kairana District Muzaffarnagar. This property is bounded as below: East: Rasta gali, West: House of Smt. Khushnood, North: House of Firdaus, South: House of Tasleem	18.06.2024 published on 04.09.2024 Rs. 12,39,140.80 with further interest w.e.f 30.04.2026 + Dt & other Charges 09.12.2024 Constructive	Rs. 10.50 Lakh Rs. 1.05 Lakh Rs. 10,500/-	08.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known

The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The properties are being sold on *"AS IS WHERE IS BASIS"* and *"AS IS WHAT IS BASIS"* and *"WHATEVER THERE IS BASIS"*. 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://baanknet.com on 08-06-2026 @ from 11:00 a.m. to 04:00 p.m. 4. For detailed term and conditions of the sale, please refer https://baanknet.com & www.pnbindia.in. or contact Nodal Officer Sh. Daulat Ram Meena, Authorised officer of Circle Office, Muzaffarnagar, Mob. 8954040505. All concerned to note that this publication is also a statutory 15/30 days sale notice to the borrowers/mortgagors/guarantors.

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) & 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Date: 22.05.2026 Place : Muzaffarnagar / Shamli Authorised Officer (Punjab National Bank)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank** of India

Union Bank of India
Regional office, Muzaffarnagar, ASJ Grand Plaza Mall, Bhopa Road, Muzaffarnagar-251001

APPENDIX IV-A
SALE NOTICE for Sale of Immovable Properties

E-Auction 15/30 days Sale Notice for Sale of immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Proviso to Rule 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India, Regional office, Muzaffarnagar the (secured creditor), will be sold on **below mentioned dates** "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder:

S. No.	Branch Name & Address	Name & address of Borrower & Guarantor	Description of the Immovable property put for auction	Status of the possession Physical/ Constructive	Dues to be Recovered from Borrower/ Guarantor (Rs.)	Reserve Price (Rs.) / EMD / Bid Increment	Date and Time of Auction (with 10 min unlimited auto extensions)
1	Union Bank of India, NAV Saharanpur Branch, Delhi Road New Avas Vikas Colony, Saharanpur, District Saharanpur, Pin-247001 (U.P.) Mob.: 9920625790	1.THE BORROWER/S 1a). Mr. Premchand S/o Babu Ram, Address: H.No. C 34 Brijesh Nagar Paper Mill Road Saharanpur UP 247001 1b). Ms. Balesh W/o Sh. Premchand, Address: H.No. C 34 Brijesh Nagar Paper Mill Road Saharanpur UP 247001 1c). Ms. Sangeeta W/o Sanjay Kumar, Address: H.No. C 34 Brijesh Nagar Paper Mill Road Saharanpur UP 247001 2. THE GUARANTOR/S 2a). Ms. Kavita W/o Sewaram, Address: H. No. 199 Sahjawan Saharanpur UP 247001 2b). Mr. Sanjay Kumar S/o Babulal, Address: H.No. C 34 Brijesh Nagar Paper Mill Road Saharanpur UP 247001 2c). Ms. Shakuntala W/o Anil, Address: H.No. 206 Jhabrawan Saharanpur UP 247001. 2d). Ms. Prem Lata W/o Rajinder Kumar, Address: H.No. 156 A, Ward 18 Jagadhari Yamuna Nagar Haryana IN 2e). Mr. Rishu Grover S/o Gulshan Grover, Address: 1480 Laxmi Nagar Near Patel Nagar Saharanpur UP IN	Equitable Mortgage of immovable property described herein below:- All that part and parcel of residential Property situated at C 34, Brijesh Nagar, Papermill Road, Saharanpur (UP) measuring Area 126.66 Sq. Yards in the name of Smt. Balesh W/o Premchand & Smt Sangeeta W/o Sanjay Kumar, bounded as under: East: House of others, West: Rasta 20 ft wide	Constructive	Rs. 12.40 Lakh as on 30.04.2026 Plus interest and charges	Rs. 37,00,000/- 10% of the Reserve Price mentioned above. Rs. 37,000/- Invariably, the first bid of the property/ies will be Reserve Price + one increment. This amount will be the minimum bid amount to participate in bidding process.	24.06.2026 between 12.00 PM to 05.00 PM
2	Union Bank of India, NAV Saharanpur Branch, Delhi Road New Avas Vikas Colony, Saharanpur, District Saharanpur, Pin-247001 (U.P.) Mob.: 9920625790	1.THE BORROWER/S 1a). Late Naved S/o Abdul Bari, Address: H.No. 4/144 Nawab Ganj Opp Masjid, Distt. Saharanpur (UP) 247001 1b). Mr. Abdul Bari, Address: H. No. 4/144 Nawab Ganj Distt Saharanpur (UP) 247001 2. THE GUARANTOR/S. 2a). Mr. Rizwan S/o Abdul Bari, Address: 4/144 Nawab Ganj, Near Makka Masjid, Saharanpur UP 247001 3. Estate of deceased Mr. Naved S/o Abdul Bari, represented by: 3a). Mr. Abdul Bari and others, Address: H.No. 4/144 Nawab Ganj, Opp Masjid, Saharanpur, UP 247001	Equitable Mortgage of immovable property described herein below:- All that part and parcel of residential house constructed on part of plot no. 44 & 45 belonging to khasra no. 2570-M situated at dar abadi new defense colony near Mother Haleema School wala Gara Kothala Swad Saharanpur admeasuring area 83.61 Sq. Mtr. Boundaries: East: House of Aijaz, West: House of Yamreen, North: House of Yamreen, South: Rasta Colony 20 ft Wide	Constructive	Rs. 13.19 Lakh as on 30.04.2026 Plus interest and charges	Rs. 11,75,000/- 10% of the Reserve Price mentioned above. Rs. 11,750/- Invariably, the first bid of the property/ies will be Reserve Price + one increment. This amount will be the minimum bid amount to participate in bidding process.	24.06.2026 between 12.00 PM to 05.00 PM
3	Union Bank of India, NAV Saharanpur Branch, Delhi Road New Avas Vikas Colony, Saharanpur, District Saharanpur, Pin-247001 (U.P.) Mob.: 9920625790	1.THE BORROWER/S 1a). M/s Alisha Enterprises Prop. Mohd. Rafi Khan Address: Vill Chak Hawai, Janta Road, Distt. Saharanpur (UP) 1b). Mr. Rafi Khan S/o Tajuddin Khan Address: Vill Sahadi Sheikh, Janta Road Distt Saharanpur (UP) 2. THE GUARANTOR/S 2a). Ms. Sangeeta W/o Haresh Kumar (Guarantor), Address: Near Mathoriagar Distt Saharanpur (UP) 2b). Mr. Shoyab ali S/o Mohd. Rafi (Guarantor), Address: Vill Sahadi Sheikh, Jamalnagar, Distt. Saharanpur (UP)	Equitable Mortgage of immovable property described herein below:- All that part and parcel of residential house constructed on part of plot no. 44 & 45 belonging to khasra no. 2570-M situated at dar abadi new defense colony near Mother Haleema School wala Gara Kothala Swad Saharanpur admeasuring area 83.61 Sq. Mtr. Boundaries: East: House of Aijaz, West: House of Yamreen, North: House of Yamreen, South: Rasta Colony 20 ft Wide	Constructive	Rs. 25.23 Lakh as on 30.04.2026 Plus interest and charges	Rs. 19,00,000/- 10% of the Reserve Price mentioned above. Rs. 19,000/- Invariably, the first bid of the property/ies will be Reserve Price + one increment. This amount will be the minimum bid amount to participate in bidding process.	24.06.2026 between 12.00 PM to 05.00 PM
4	Union Bank of India, NAV Saharanpur Branch, Delhi Road New Avas Vikas Colony, Saharanpur, District Saharanpur, Pin-247001 (U.P.) Mob.: 9920625790	1.THE BORROWER/S 1a). M/s Gopi Krishan Ice Cream, R/o Joginder Pal Madho Nagar Saharanpur UP 247001 IN 2b). Late Joginder Pal, Near Suryalok Hotel Railway Road Saharanpur UP 247001 IN 2c). Ms. Janak Rani, Near Suryalok Hotel Railway Road Saharanpur UP 247001 2. THE GUARANTOR/S 2a). Mr. Sachin Khaneja, Beside Suryalok Railway Road Saharanpur UP 247001 IN 2b). Mr. Harish Chandra, 16 Hakikat Nagar Delhi Road Saharanpur UP 247001 IN 3. Estate of the deceased Joginder Pal represented by 3a). Mr. Harish Khaneja S/o Joginder Pal, Near Surya Lok Hotel Railway Road Saharanpur 3b). Mr. Sachin Khaneja S/o Joginder Pal, Near Surya Lok Hotel Railway Road Saharanpur	Equitable Mortgage of immovable property described herein below:- All that part and parcel of One Shop bearing MPL No. 61/352 measuring 30 Sq Yards equal to 25.08 Sq Mtr situated at Dara Rajpura Swad, Dar Abadi Madho Nagar, Saharanpur in the name of Smt. Janak Rani. Boundaries: East: Property of Sh. Dawan Ram Sunar, West: Property of Sh. Mohan Lal, North: Property of Sh. Desak Ram Sunar, South: Government Road	Constructive	Rs. 10.56 Lakh as on 31.03.2026 Plus interest and charges	Rs. 42,10,000/- 10% of the Reserve Price mentioned above. Rs. 42,100/- Invariably, the first bid of the property/ies will be Reserve Price + one increment. This amount will be the minimum bid amount to participate in bidding process.	24.06.2026 between 12.00 PM to 05.00 PM
5	Union Bank of India Purani Mandi Branch Near Mandi Police Station Saharanpur UP-247001 Mob.: 9458764545	Borrowers:- 1. Late Shri Dilshad Ahmed represented through his legal heirs, Address: 14/298 Kutubsaher-1, Abdul Salam Road, Nagar Nigam Saharanpur UP-247001 2. Sayra Begu (Co-Applicant) w/o Dilshad Ahmed, Address: 14/298 Kutubsaher-1, Abdul Salam Road, Nagar Nigam Saharanpur UP-247001 3. Sahnawaz (Co-applicant) s/o Dilshad Ahmed, Address: 14/298, Kutubsaher-1, Abdul Salam Road, Nagar Nigam Saharanpur UP-247001	Triple Storied Residential building constructed over a free hold plot of Old Nagar Palika No. 14/1251 Mohalla Dhali Khal Wake Dara Shivpuri, Saharanpur UP 247001, Area: 89.68 Sq. mts. Boundaries: North: House of Muhammad Umar, South: Other's Property, East: Rasta Gali 5 ft wide, West: Other's Property	Constructive	Total (Rs.+OL): 14.84 Lakh + Int. and other charges as on 31-12-2025	Rs.15.94 lakh 10% of the Reserve Price mentioned above. Rs. 15,940/- Invariably, the first bid of the property/ies will be Reserve Price + one increment. This amount will be the minimum bid amount to participate in bidding process.	12.06.2026 between 12.00 PM to 05.00 PM

Date & Time of E-Auction: 12.06.2026 & 24.06.2026 at 12:00 Noon to 05:00 PM
Last date of Submission of bid: On or before the commencement of e-Auction

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in **https://baanknet.com** in only. Further Bidder for Registration and Login and Bidding Rules visit **https://baanknet.com** only.
NOTE: Bidder are advised to register and validate KYC on the website/ portal at least 2-3 days prior to auction date and EMD may be deposited 2 days before the date of auction to avoid any inconvenience.

Date: 22.05.2026 Place : Muzaffarnagar Authorised Officer, Union Bank of India